प्रेस विज्ञप्ति

22/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में देहरादून जिले में स्थित लगभग 101 बीघा भूमि के रूप में अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका पंजीकृत मूल्य 6.56 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ से अधिक) है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सहसपुर, देहरादून, उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद, दिवंगत श्रीमती सुशीला रानी ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश करके बीरेंद्र सिंह कंडारी और नरेंद्र कुमार वालिया के नाम पर सहसपुर, देहरादून में स्थित भूमि के दो पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) पंजीकृत किए। इसके अलावा, हरक सिंह रावत के निकट सहयोगी बीरेंद्र सिंह कंडारी ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके इस भूमि को श्रीमती दीप्ति रावत और श्रीमती लक्ष्मी राणा को मामूली रकम पर बेच दिया, जो उस क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित सर्किल दरों से काफी कम थी। श्रीमती दीप्ति रावत द्वारा खरीदी गई जमीन अब दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (डीआईएमएस) (श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत चलती है) का हिस्सा है, जिसकी वे अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट को हरक सिंह रावत के परिवार और दोस्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

जांच के दौरान यह पता चला कि श्रीमती दीप्ति रावत पत्नी हरक सिंह रावत और श्रीमती लक्ष्मी राणा ने बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, स्वर्गीय सुशीला रानी और अन्य व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश के तहत उक्त 101 बीघा भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत कराने में कामयाब रहीं।

पीओसी की पहचान के बाद, 6.56 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ से अधिक) के मूल्य पर लगभग 101 बीघा भूमि को कुर्क करने का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला-देहरादून में 2 भूमि शामिल हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।